न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क-29/11 संस्थित दिनांक- 27.01.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र पिपरई	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- 1. कलेक्टर सिंह पुत्र बारेलाल अहिरवार उम्र 27 साल
- 2. राजकुमार पुत्र रतनलाल अहिरवार उम्र 27 साल
- 3. चिंटू पुत्र अमोल अहिरवार उम्र 40 साल
- 4. जालम पुत्र गगुआ अहिरवार उम्र 45 साल निवासीगण ग्राम जमाखेडी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 10.11.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, /34, 324 /34, 506बी दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.01.11 को 01:00 बजे ग्राम जमाखेडी हरिजन मोहल्ला में फरियादी का रास्ता रोककर उसे गतव्य दिशा में जाने से निवारत कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी धर्मेंद्र कोली को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी धर्मेंद्र कोली को घातक धारदार वस्तु से एवं लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारिया किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.01.2011 को रात करीबन 1 बजे का समय होगा, फरियादी अपने खेत पर पानी देने जा रहा था, जैसे ही फरियादी हरिजन मोहल्ला में पहुचा तो गांव के चिंटू, जालम, राजकुमार और कल्ला चारों ने धर्मेंद्र कोली का रास्ता रोककर लिया जालम ने लाठी मारी सिर में दाहिनी तरफ चोट होकर खून निकल आया था, एवं राजकुमार ने एक लाठी बाये हाथ के पंजा में मारी मुंदी चोट आई, एवं सिर में लाठी मारी खाल कट गई, हल्ला सुनकर फरियादी की मां आ गई, तो चारों लोग वहा से भाग गये और जाते जाते कहा आज तो बच गया यदि रिपोर्ट करने गया तो जान से

खत्म कर देंगे। फरियादी धर्मेंद्र कोली द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक—12/11 अंतर्गत धारा— 341, 324, 506बी, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.01.11 को 01:00 बजे ग्राम जमाखेडी हरिजन मोहल्ला में फरियादी धर्मेंद्र कोली को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी धर्मेंद्र कोली को लाठियों स अथवा धारदार वस्तु से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी का रास्ता रोककर उसे गतव्य दिशा में जाने से निवारत कर सदोष अवरोध कारित किया ?
- 3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी धर्मेंद्र कोली को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारिया किया ?
- 4. दोष मुक्ति व दोष सिद्धि ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::</u>—

विचारणनीय प्रश्न कमांक-1 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में घटना के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में फिरयादी धर्मेंद्र (अ0सा0—1) सिहत रूमाल सिंह (अ0सा0—2), व फिरयादी की मां देवका बाई (अ0सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये। उपरोक्त साक्षियों में से रूमाल सिंह (अ0सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में से अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से इंकार किया। अभियोजन के द्वारा इस साक्षी का पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने अपने संपूर्ण परीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। अतः इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 06— धर्मेद्र (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना उसके कथन देने के दिनांक से 5—6 महीने पूर्व की है, वह अकेला खेत पर पानी भरने जा रहा था, तो उसकी आरोपीगण से लडाई हो गई थीं। फरियादी के अनुसार आरोपीगण उससे कह रहे थे कि "कहां जा रहा है" तथा उसकी जेब टटोलने लगे और उससे चैट गये और मारपीट कर दी। फरियादी के अनुसार आरोपीगण ने लुहांगी और फर्से से मारपीट की थी तथा इस साक्षी का यह कहना है कि कलेक्टर ने फर्से से और जालम ने लुहांगी ने उसके सिर में मारा था।
- 07— फरियादी धर्मेंद्र (अ0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन मात्र इस बात पर अभियोजन का समर्थन करते है कि घटना के समय फरियादी धर्मेंद्र (अ0सा0—1) अपने खेत पर पानी भरने जा रहा था, तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। घटना किस दिनांक की है तथा किस समय की है। इस संबंध में फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नही दिये है। फरियादी का कहना है कि घटना उसके कथन देने की दिनांक से पांच—छः महीने पूर्व की है अर्थात् वर्ष 2012 के 9 अथवा 10 महीने की है, जबिक दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना इससे भी लगभग दो वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.01.11 की लेख कराई गई है। धर्मेंद्र (अ0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण में पुनः स्पष्ट करते हुये, घटना उसके कथन देने की दिनांक से साल भर पहले होना बताता है, परन्तु इसके पश्चात् भी इस साक्षी के द्वारा घटना के समय को लेकर दिये गये कथन विरोधाभासी है।

- 08— यह उल्लेखनीय है कि फरियादी ने अपने कथनों में इस बात पर तो अभियोजन का समर्थन किया है कि घटना ठण्ड के समय की है, क्योंकि अभियोजन घटना जनवरी माह की है और यदि उपरोक्त कथन के आधार पर यह हो सकता है कि ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण वह समय का अनुमान ठीक से न लगा पा रहा हो, इस कारण घटना के वर्ष व महीने को लेकर इस साक्षी के कथनों में विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, जिससे एक मात्र उक्त आधार पर फरियादी के कथनों को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिये घटना के संबंध में फरियादी के संपूर्ण साक्ष्य सहित अन्य साक्षियों की साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- 09— फरियादी धर्मेंद्र (अ०सा०—1) सभी आरोपीगण के द्वारा फर्सा और लुहांगी से मारपीट करना बताता है, जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में लुहांगी और फर्से का उपयोग ही नही हुआ। क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 एवं स्वयं फरियादी सिहत अन्य साक्षियों के द्वारा कथनों पुलिस को दिये गये क्थनों में इस बात को कोई उल्लेख नही है कि और न ही पुलिस ने ऐसा कोई हिथयार किसी भी अभियुक्त से जप्त किया है। धर्मेद्र (अ०सा०—1) का मात्र अभियुक्त कलेक्टर और जालम के संबंध में यह कहना है कि अभियुक्त कलेक्टर ने फर्से से एवं जालम ने लुहांगी से उसके सिर में मारा था तथा शेष अभियुक्तगण के संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन नही दिये। अतः घ ाटना में आरोपीगण ने फर्से और लुहांगी का उपयोग किया तथा अभियुक्त कलेक्टर ने फर्से से एवं जालम ने लुहांगी से फरियादी के सिर में उपहित कारित की, इस संबंध में धर्मेद्र (अ०सा0—1) के न्यायालीन कथनों अभियोजन घ ाटना के विपरीत होने से विश्वसनीय नही है।
- 10— यहां उल्लेखनीय है कि जब घटना में अचानक कई अभियुक्तों के द्वारा किसी एक व्यक्ति के साथ हथियारों से लैस होकर मारपीट की घटना कारित की जाती है, तो आहत व्यक्ति काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् निश्चित रूप से यह बताने की स्थिति में नहीं होता है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से आहत को शरीर के किस भाग पर उपहित कारित की, परन्तु घटना में अभियुक्तगण कौन से हथियार लेकर मौके पर उपस्थित होकर मारपीट करने के लिये अग्रसर हुये थें, यह स्पष्ट करने में आहत को कितनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति यह बता न सके कि उसके साथ किन

हथियार से वास्तव में मारपीट आरोपीगण ने की थी एवं घातक हथियारों से मारपीट का आरोप लगाने के बाद यदि आहत यह कहे कि उसे ध्यान नही है कि अभियुक्तगण ने किन हथियार से उसके साथ मारपीट की थी, तो निश्चित रूप से उपरोक्त आधार पर आहत व्यक्ति के संबंध में दिये गये कथनों पर संदेह होना स्वाभाविक है।

- 11— अभियोजन कहानी के अनुसार जालम व राजकुमार ने लाठियों फरियादी के साथ मारपीट कर सिर में उपहित कारित की है तथा शेष अभियुक्तगण ने लाठी से मारपीट की है जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 एवं फरियादी के कथन प्रदर्श—डी—1 में अवश्य है, परन्तु फरियादी धर्मेंद्र अ0सा0—1 अपने न्यायालीन कथनों में प्रदर्श—पी—1 एवं प्रदर्श—डी—1 में दिये गये कथनों के विपरीत आरोपीगण के द्वारा फर्सा और लुहांगी से मारपीट करना बताता है जिसमें कलेक्टर के द्वारा फर्स से एवं जालम के द्वारा लुहांगी से सिर में उपहित करने के संबंध में कथन देता है। यहीं साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह स्वीकार करता है कि उसने प्रदर्श—पी—1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श—डी—1 के कथनों में यह नहीं लिखाया था कि कलेक्टर ने फर्स से व जामल ने लुहांगी से मारा था। अतः यदि साक्षी ने रिपोर्ट लिखाते समय व पुलिस को दिये गये कथनों में स्वयं ही इस बात का उल्लेख नहीं किया और उसे यह याद भी है कि उसने पुलिस को ऐसे कथन नहीं लिखाये, तो न्यायालय में किस आधार पर वह फर्सा और लुहांगी से मारपीट करना बताता है, यह समझ से परे हैं।
- 12— फरियादी धर्मेंद्र (अ0सा0—1) फर्से और लुहांगी से मारपीट की घटना की रिपोर्ट लेख न कराने के बाद भी न्यायालय में अभियुक्त कलेक्टर के द्वारा फर्से से और जालम के द्वारा लुहांगी से मारपीट किया जाना बताता है, जो अपने आप में ही यह स्थापित करता है कि इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथन सत्य नही है। धर्मेंद्र (अ0सा0—1) का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहना है कि उसे ध्यान नही है कि जालम ने उसे लाठी से मारा एवं राजकुमार ने उसे किस चीज से मारा था। यदि रात के समय बातचीत होने के बाद माके पर विवाद हुआ था, तो यह संभव ही नही है कि फरियादी यह न बता सके कि वास्तव में जालम और राजकुमार घटना के समय कौन सा हथियार लिये था। अतः फरियादी का यह कहना कि अभियुक्तगण ने वास्तव में किसी हथियार से उसके साथ मारपीट की, विश्वसनीय प्रतीत नही होती है।
- 13— फरियादी के उपरोक्त कथनों पर अविश्वास करने का एक आधार यह भी है कि

चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर प्रशांस दुबे (अ०सा०—3) के द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के सिर पर मात्र पैराईटल भाग पर एक मामूली फटा हुआ घाव 3 गुणित 1 गुणित 1/2 से०मी० का पाया था तथा इस चोट के अलावा फरियादी के शरीर पर कोई अन्य चोट या चोट के निशान डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा०—3) ने चिकित्सीय परीक्षण में नही पाये यदि चार अभियुक्तों के द्वारा लुहांगी, फर्से से फरियादी के साथ मारपीट की गई होती तो निश्चित रूप से फरियादी के सिर पर मात्र एक मामूली चोट नही होती और यदि कलेक्टर ने फर्से से या जालम से लुहांगी से फरियादी के सिर पर प्रहार किया होता, तो उक्त प्रहार से भी इतनी मामूली चोट नही आ सकती है।

- 14— फरियादी धर्मेंद्र (अ०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में व्यक्त किया है कि वह बेहोश हो गया था, उसके सिर में, दाये हाथ के कंधे में, कमर में, पीडली में, जाघों में, कुल मिलाकर 25 जगह चोटों आई थीं, जिनमें से 10—15 जगह चोटों के निशान थे। इसी प्रकार देवका बाई अ०सा०—4 अपने प्रतिपरीक्षण में धर्मेंद्र को 25 चोटें आना बताती है तथा इस साक्षी का कहना है कि धर्मेंद्र (अ०सा०—1) के इतना खून निकला था, उसके गददे भीग गये थे। अतः फरियादी धर्मेंद्र (अ०सा०—1) व उसकी मां देवका बाई (अ०सा०—4) के धर्मेंद्र (अ०सा०—1) को आई चोटों के संबंध में दिये गये उपरोक्त कथन न तो अभियोजन कहानी से मेल खाते है और न ही डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा०—3) कि चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रदर्श—पी—4 से इस बात की पुष्टि होती है। डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा०—3) ने मात्र फरियादी के सिर में एक साधारण सी चोट होना बताया है, तथा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि उक्त चोट भी फर्सा या लुहांगी से आना संभव नहीं है।
- 15— अतः उपरोक्त आधार पर भी धर्मेंद्र (अ०सा०—1) व देबका बाई (अ०सा०—4) के कथन इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि अभियुक्तगण ने लुहागी फर्सा अथवा लाठियों से एक राय होकर धर्मेंद्र (अ०सा०—1) के साथ मारपीट कर उपहित कारित की, क्योंकि यदि चारों अभियुक्त लाठी से यह निहत्थे भी फरियादी के साथ मारपीट करते तो निश्चित रूप से फरियादी के सिर पर उक्त मामूली चोट के अलावा भी कई चोटें होती। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के सिर पर मात्र एक साधारण सी चोट होना भी फरियादी धर्मेंद्र (अ०सा०—1) व देबकाबाई (अ०सा०—4) के द्वारा दिये गये इन कथनों को अविश्वसनीय बनाता है कि चारों अभियुक्तगण ने फरियादी धर्मेंद्र (अ०सा०—1)

के साथ मारपीट कर उपहति कारित की।

- 16— यदि वास्तविकता में किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट होती है तो भले ही समय के साथ आहत व्यक्ति यह ना बता सके की किस हथियार से किस व्यक्ति ने मारपीट की, यह संभव है, परन्तु वास्तव में विवाद का कारण क्या था तथा घटना किस स्थान पर घटित हुई यह कितने भी समय के बाद यदि घटना वास्तविक होती है तो वह व्यक्ति बता सकता है। विवाद किस कारण से हुआ था, इस संबंध में फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि आरोपीगण उसकी जेब टटोलने लगे थे तथा प्रतिपरीक्षण में फरियादी का कहना है कि यह घटना रात्रि 01:00 बजे की है, परन्तु ऐसी कोई घटना का उल्लेख प्रदर्श—पी—1 की रिपोर्ट व प्रदर्श—डी—1 के कथनों में नही है कि अभियुक्तगण रात्रि 01:00 बजे फरियादी की जेब टटोल रहे थे, और इस कारण से उन्होंने फरियादी के साथ मारपीट की।
- 17— इसी प्रकार घटना स्थल के संबंध में फरियादी अपने मुख्यपरीक्षण में कहता है कि आरोपीगण से गांव में लडाई हो गई थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में इस साक्षी का कहना है कि घटना हरिजन मोहल्ले की है तथा घटना स्थल के सामने हरिकिशन का मकान है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी एन0 पी0 मौर्य (अ०सा0–5) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट किया है कि उसने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 फरियादी की निशानदेही पर बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 में जिस स्थान को घटना से चिहिंत किया गया है वह सर्वप्रथम तो हरिजन मोहल्ले में स्थित नही है और न ही उस स्थल के आसपास हरिकिशन नामक व्यक्ति का मकान है। अतः नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 से स्पष्ट होता है कि घटना स्थल हरिजन मोहल्ला नही है जबकि फरियादी हरिकिशन के मकान के पास घटना स्थल होना बताता है। अतः ऐसे वास्तव में घटना किस स्थान पर घटित हुई इस संबंध में भी फरियादी के कथन नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 में बताये गये घटना स्थल से विपरीत है। आहत व्यक्ति यदि यह ना बात सके कि किस घटना किस स्थान पर घटित हुई थी, तो घटना के संबंध में उक्त एक मात्र आधार उसके द्वारा बताई घटना को शंका के घेरे में लाने के लिये पर्याप्त है।
- 18— यह उल्लेखनीय है कि घटना के अन्य साक्षी रूमाल सिंह (अ०सा०—2) व देबकाबाई (अ०सा0—4) के पुलिस को दिये गये कथनों के अनुसार यह दोनों साक्षी हल्ला सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे थे, जिससे निश्चित रूप से इन

साक्षियों के घर से घटना स्थल की दूरी अभियोजन कहानी के अनुसार अधिक नहीं रही होगी, क्योंकि घटना स्थल से उन्हें घर तक आवाज सुनाई दी होगी। धर्मेंद्र (अ0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्वंय यह कहता है कि रूमाल (अ0सा0—2) का घर घटना स्थल के पास नही है तथा उसका दूर हैं वहीं फरियादी की मां देबका बाई (अ0सा0—4) घटना स्थल पर फरियादी की आवाज सुनकर पहुंचना नहीं बताती है, बल्कि उसका कहना है कि गांव वाले उसे बताने आये थे अतः स्पष्ट है कि इस साक्षी के अनुसार रात्रि 01:00 बजे सोते समय इस साक्षी का फरियादी की कोई चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी वह गावं वालों के बुलाने पर उठकर घटना स्थल पहुंची थी। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श—पी—2 में न तो फरियादी का मकान कहीं दर्शाया गया है और न ही रूमाल (अ0सा0—2) का मकान दर्शित हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना स्थल इन दोनों के मकान के आसपास नहीं था, परन्तु अभियोजन के अनुसार रूमाल सिंह (अ0सा0—2) व देबकाबाई (अ0सा0—4) की घटना स्थल पर दर्शाई गई उपस्थिति का कारण स्वंय इस साक्षियों के कथनों से प्रमाणित नहीं होता है।

- 19— देबका बाई (अ०सा०—4) को यदि गांव वाले बुलाने आये थे तथा इस साक्षी का स्वयं यह कहना है कि बबलू श्रीराम व कमरजीत उसे बुलाने आये थे, परन्तु इस संबंध में देबकाबाई (अ०सा०—4) के द्वारा दिये गये कथन उसके द्वारा पुलिस को दिये गये कथनों के विरोधाभासी है। देबकाबाई (अ०सा०—4) ने स्वयं कोई घटना देखी, इस संबंध में स्वयं धर्मेंद्र (अ०सा०—1) ने देबकाबाई (अ०सा०—4) के कथनों का समर्थन नहीं किया तथा धर्मेंद्र (अ०सा०—1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में कहना है कि झगडे के बाद भाईसाहब और उसकी मां घर से आये थे। यदि झगडे के बाद वह घर से आई थी तो घटना कारित होते हुये कैसे देख सकती है। देबका बाई (अ०सा०—4) ने अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी की मारपीट होते हुये देखी थी, इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य से इस साक्षी के कथन भी लेषमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।
- 20— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर फरियादी धर्मेंद्र (अ0सा0—1) सहित देबकी बाई (अ0सा0—4) के कथन इस संबंध में लेषमात्र भी विश्वसनीय नही है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को हरीजन मोहल्ले में फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी धर्मेंद्र (अ0सा0—1) को स्वेच्छया उपहति कारित

की।

विचारणीय प्रश्न कमाक 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 21— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन घटना सर्व प्रथम तो वैसे ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, यदि उपरोक्त आरोप के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखा जावे तब भी फरियादी को किसी विशिष्ट दिशा में जाने से रोकने के संबंध में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि मारपीट करने के लिये फरियादी को रोका गया, तब भी उक्त प्रकार से रोकना भा0दं0वि0 की धारा 341 की परिधि में नहीं आता है। जब तक कि यह साबित न कर दिया जावे कि किसी विशेष दिशा में जाने से फरियादी को रोका गया जहां पर जाने का उसे अधिकार था। अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की किसी भी प्रकार की कोई धमकी दी, इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 22— फरियादी धर्मेद्र (अ०सा०—1) अपने न्यायालीन कथनों में न तो घटना का समय स्पष्ट कर सका है वहीं घटना स्थल को लेकर भी इस साक्षी के कथन अभियोजन घटना से मेल नही खाते है। यह साक्षी विवाद का कोई युक्तियुक्त कारण अपने कथनों में स्पष्ट नहीं कर सका, वहीं चिकित्सीय परीक्षण में इस साक्षी के सिर पर पाई गई मामूली चोट कहीं से भी चार अभियुक्तों के द्वारा की गई लाठियों से मारपीट का परिणाम नहीं हो सकती है। अभियुक्तगण संख्या में कितने थे व क्या हथियार किये थे तथा घटना में उसे कितनी चोटे आई थी, एवं घटना किस स्थान पर घटित हुई थी इसं संबंध फरियादी धर्मेंद्र (अ०सा०—1) सहित उसकी मां देबकाबाई (अ०सा०—4) के कथन अभियोजन घटना के विपरीत हैं। जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदेह के घेरे में लाने के लिये पर्याप्त है।
- 23— किसी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन पर यह दायित्व होता है कि वह अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा बचाव पक्ष अभियोजन घटना की सत्यता को खण्डित करने में सफल रहा हैं। अतः अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.01.11 को 01:00 बजे ग्राम जमाखेडी हरिजन मोहल्ला में फरियादी धर्मेंद्र (अ0सा0—1) का रास्ता रोककर

उसे गतव्य दिशा में जाने से निवारत कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी धर्मेंद्र कोली को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी धर्मेंद्र कोली को घातक धारदार वस्तु से एवं लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारिया किया।

- 24— फलतः अभियुक्त कलेक्टर सिंह पुत्र बारेलाल अहिरवार, राजकुमार पुत्र रतनलाल अहिरवार, चिंदू पुत्र अमोल अहिरवार, जालम पुत्र गगुआ अहिरवार के विरूद्ध को कारित हुयी उपहित के संबंध में भा०द०वि० की धारा 341, 323,/34, 324/34, 506बी के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त कलेक्टर सिंह पुत्र बारेलाल अहिरवार, राजकुमार पुत्र रतनलाल अहिरवार, चिंदू पुत्र अमोल अहिरवार, जालम पुत्र गगुआ अहिरवार को भा०द०वि० की धारा 341, 323,/34, 324/34, 506बी के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 25—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)